राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 29/2014
अन्तर्गत
अपील संख्या–1153/2011
चैनाराम कड़वा

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री प्रेम सिंह मेहरा, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्री मोह.उमर मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जल भवन, हसनपुरा रोड़, जयपुर।
3. श्री जय सिंह चौधरी, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सर्किल नागौर, जिला नागौर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.05.2024

<u>उपस्थित :–</u>

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री जैयद खान, अभिभाषक
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह अवमानना याचिका चैनाराम कड़वा द्वारा प्रस्तुत की गयी है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि याची चैनाराम कड़वा व अन्य अपीलार्थियों ने अपील संख्या 1153/2011 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 06.11.2013 को किया गया। जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया :–

> ''अपीलार्थीगण के तथ्य उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समान प्रकृति के होने के कारण अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित किया जावें, परन्तु अपीलार्थीगण को इसके परिणामस्वरूप जगद लाभ दिनांक 15.04.2007 से ही देय होगा।
>
> अपील अपीलार्थीगण उपरोक्त निर्देशो के साथ निस्तारित की जाती है। मूल आदेश अपील संख्या 1153/2011 में संलग्न करते हुए अन्य अपीलों में फोटो प्रति संलग्न की जावे। ''

3. अधिकरण के उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 7264/2014 प्रस्तुत की थी, जिस रिट याचिका में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.10.2014 के द्वारा किया गया। उक्त रिट याचिका प्रत्याहारित किये जाने के आधार पर खारिज की है एवं साथ ही राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि रिव्यू याचिका इस अधिकरण के सक्षम प्रस्तुत की जा सकती है एवं अधिकरण को यह निर्देश दिया है कि वह रिव्यू याचिका एवं अवमानना याचिका को साथ ही निर्णित करें। इस अधिकरण ने रिव्यू याचिका एवं अवमानना याचिका को दिनांक 11.06.2019 को निर्णित किया, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है :–

> ''14. परिणामस्वरूप, अपील संख्या–1153/2011 के अलावा शेष अपील संख्या 1154/2011. 1155/2011, 1156/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1159/2011 एवं 1160/2011 में प्रस्तुत किये गये पुनर्विलोकन आवेदन मंजूर किये जाकर इस अधिकरण द्वारा दिनांक 06.11.2013 को पारित आदेश वापस लिया जाकर उक्त अपीलार्थीगण की उक्तांकित सात अपीलें खारिज की जाती है और उनकी अपीलें खारिज हो जाने से उन अपीलों के साथ संलग्न अवमानना आवेदन भी चलने योग्य नहीं रहने से खारिज किये जाते हैं परन्तु अपीलार्थी चैना राम कड़वा की अपील संख्या 1153/2011 में प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन नामंजूर किया जाता है और उसकी अपील में दिनांक 06.11.2013 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि चैना राम कड़वा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.12.1983 होने से दिनांक 01.12.1985 से स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित करने पर विचार करे और उसके परिणामस्वरूप उसे नकद लाभ दिनांक 15.04.2007 से प्रदान करे। चैना राम कड़वा की अपील उक्तानुसार मंजूर होने से उसके द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन संख्या 29/2014 में अब यह आदेश पारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग चैना राम कडवा को उसकी उक्त अपील में पारित आदेश की अनुपालना में तीन माह में उसे स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित करे और उसकी अपील के निर्णय के अनुसार नकद परिलाभ प्रदान करे अन्यथा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना हेतु मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को रैफर किया जाएगा।
>
> 15. अवमानना पत्रावली संख्या 29/2014 आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 11.09. 2019 को प्रस्तुत हो।
>
> 16. मूल आदेश अपील संख्या 1153/2011 अवमानना याचिका संख्या 29/2014 एवं रिव्यू प्रार्थना संख्या 4/2015 (चैना राम कड़वा) में एवं आदेश की प्रति उपरोक्त अन्य अंकित पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

17. आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया। ''

4. अतः इस अधिकरण द्वारा अंतिम रूप से रिव्यू याचिका एवं अवमानना याचिका निर्णित करते हुए यह आदेश दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग चैनाराम कड़वा को पूर्व आदेश की पालना में तीन माह में स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित करे और अपील के निर्णय के अनुसार नकद परिलाभ प्रदान करें। हमारे समक्ष यह प्रकट हुआ है कि प्रत्यर्थी विभाग ने इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2019 पारित होने के पश्चात दिनांक 23.06.2021 पारित किया है, जिसमें चैनाराम कड़वा को स्टोर मुंशी के पद पर अपात्र माना गया है। अतः हम पाते हैं कि इस अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की अवमानना की गयी है। क्योंकि स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किये जाने के आदेश दिये गये थे, परन्तु उसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद के लिये अपात्र होना माना है, जो इस अधिकरण के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है।

5. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 11.06.2019 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 11.06.2019 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

6. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

7. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2019 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

"14. परिणामस्वरूप, अपील संख्या–1153/2011 के अलावा शेष अपील संख्या 1154/2011. 1155/2011, 1156/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1159/2011 एवं 1160/2011 में प्रस्तुत किये गये पुनर्विलोकन आवेदन मंजूर किये जाकर इस अधिकरण द्वारा दिनांक 06.11.2013 को पारित आदेश वापस लिया जाकर उक्त अपीलार्थीगण की उक्तांकित सात अपीलें खारिज की जाती है और उनकी अपीलें खारिज हो जाने से उन अपीलों के साथ संलग्न अवमानना आवेदन भी चलने योग्य नहीं रहने से खारिज किये जाते हैं परन्तु अपीलार्थी चैना राम कड़वा की अपील संख्या 1153/2011 में प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन नामंजूर किया जाता है और उसकी अपील में दिनांक 06.11.2013 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि चैना राम कड़वा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.12.1983 होने से दिनांक 01.12.1985 से स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित करने पर विचार करे और उसके परिणामस्वरूप उसे नकद लाभ दिनांक 15.04.2007 से प्रदान करे। चैना राम कड़वा की अपील उक्तानुसार मंजूर होने से उसके द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन संख्या 29/2014 में अब यह आदेश पारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग चैना राम कडवा को उसकी उक्त अपील में पारित आदेश की अनुपालना में तीन माह में उसे स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित करे और उसकी अपील के निर्णय के अनुसार नकद परिलाभ प्रदान करे अन्यथा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना हेतु मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को रैफर किया जाएगा।

15. अवमानना पत्रावली संख्या 29/2014 आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.2019 को प्रस्तुत हो।

16. मूल आदेश अपील संख्या 1153/2011 अवमानना याचिका संख्या 29/2014 एवं रिव्यू प्रार्थना संख्या 4/2015 (चैना राम कड़वा) में एवं आदेश की प्रति उपरोक्त अन्य अंकित पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

17. आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया। "

8. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030)** में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

10. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 11.06.2019 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

11. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)